तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00046 श्री एस.पी. औझा श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.2.18	यह प्रार्थना पत्र श्री एस. पी. औझा एड्वोकेट ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.01.2018 द्वारा अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज किये जाने से अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों।प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील जरिये विड्रो फैसलशुमार हुई हैं तथा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध एक सिविल रिट पीटिशन संख्या 1731/2018 दिनांक 19.01.2018 को प्रस्तुत की जिसमें भी मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील के बाबत् भी अवगत कराया था जिस पर अपील की रेमेडी होने के कारण उक्त सिविल रिट पीटिशन को भी दिनांक 14.02.2018 को विड्रो किया गया अर्थात उक्त रिट पीटिशन पर भी गुणावगुण पर कोई निर्णय पारीत नही किया गया। प्रार्थी ने अद्योहस्ताक्षरकर्ता अभिभाषक से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण में हुई कार्यवाहियों से अवगत कराया जिस पर अभिभाषक ने उक्त अपील को ही पुनः नम्बर पर जिये जाने हेतु कार्यवाही करने की सलाह दी। जिससे अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित हो सकें। प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा अपील को विड्रो किये में त्रुटि अज्ञानवश हुई हैं, क्षम्य योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा अपील व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद मनन प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा अपील को विड्रो अज्ञानवश से की है, जो क्षम्य योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमर होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	